न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-30/2011

1- तीजा देवी स्त्री
2- दलिप पुत्र
3- सुमेर पुत्र
4- धर्मपाल पुत्र
5- तारावती पुत्री

स्व0 किशनाराम जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट--

---बनाम--

1- चिडाया स्त्री
2- सतपाल पुत्र
3- जयसिंह पुत्र

हीरालाल जाति जाट निवासी श्योसिंह पुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

4- इन्द्रावती बेवा राजपाल जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

5- पंकज आयु 12 साल पुत्र
6- निधि आयु 6 साल पुत्री

स्व0 राजपाल जाति जाट निवासी श्योसिंह पुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू नाबालि जरिये माता इन्द्रावती स्त्री राजपाल जाति जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

7- मनफूल पुत्र
8- लिक्षमा स्त्री

चन्दगीराम जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

9- चिडिया स्त्री
10-सुभाष पुत्र
11-विधाधर पुत्र
12-ओमप्रकाश पुत्र

स्व0 गुडदयाल जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

13- हरबाई स्त्री
14- जलेसिंह पुत्र
15- राजेन्द्रसिंह पुत्र
16- सुमित्रा पुत्री

स्व0 पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

17- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनू।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-3-2011 द्वारा उप खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री राजेश पूनिया एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री गोरधनसिंह एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 24.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-7 से 16 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारा -न का पूर्वज रामलाल ने सम्वत 2000 के आस पास ग्राम लिखवा की आराजी ख0नं0 200 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा पानेदार श्री बिरजूसिंह व हरनाथ सिंह पुत्रगण गाडसिंह से लगान पर ली थी तथा ग्राम श्योसिंहपुरा की भूमि गत खसरा नं0 99 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 43 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा ठिकाना नवलगढ के ठाकुर मदनसिंहजी से उनके नम्बरदार सूरजा राम के जरिये लगान पर ली थी। रामलाल ने उक्त आराजी लगान के बदले काश्त हेतु ली थी । इसके बाद रामलाल का देहान्त हो गया । इसके बाद रामलाल के वारिस ही उक्त आराजी का लगान देते रहे तथा आराजी की

काश्त करते रहे । रामलाल व रामलाल की पत्नी निमदिवी के पांच पुत्र है हिराराम, चन्दगीराम गुडदयाल किशनाराम व पृथ्वीसिंह हुये । रामलाल का देहान्त हुआ उस समय हिराराम बालिग हो चुका था । रामलाल के देहान्त के बाद रामलाल के पुत्रों का संयुक्त हिन्दू परिवार रहा जिसका कर्ता खानदान हिराराम था जो बालिग था तथा शेष चारों पुत्र नाबालिग कम उम्र के थे। । हिराराम का देहान्त सन् 1984 में हो गया तथा हिरालाल के पुत्र राजपाल का स्वर्गवास सन् 2007 में हो गया । हिराराम के वारिस प्रतिवादी सं0-1 से 6 हैं । रामलाल के चारो पुत्रो का स्वर्गवास भी हो चुका जिनके वारिस वादीगण है । विवादित आराजी रामलाल द्वारा लगान पर काश्त हेतु लेने के तुरन्त बाद देहान्त हो गया जिससे रामलाल के नाम से कभी भी कब्जा काश्त या अन्य रेकार्ड दर्ज नहीं हुआ । रामलाल का नाम नहीं आने का कारण सम्वत 2000 में कृषक के नाम कोई रिकार्ड दर्ज नहीं होता था । सम्वत 2008 में जयपुर स्टेट ने कृषि भूमियों का सैटलमेन्ट करवाया तब उक्त भूमियों का पर्चा खतौनी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता खानदान हिराराम के नाम दर्ज हो गई । जबकि उक्त आराजी की काश्त रामलाल के पांचो पुत्रों की शामलाती थी । तथा लगान भी संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से ही दिया जाता था । खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 में हिराराम का नाम कर्ता खानदान होने से दर्ज हो गया । जबकी राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब इस आराजी पर हिराराम, चन्दगी राम, गुडदयाल, किशनाराम व पृथ्वीसिंह पांचों भाईयों का था। इस प्रकार उक्त आराजी के रामलाल के पांचो पुत्र बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये । जिनका बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज होना चाहिये था । पांचों भाईयों में आपस में आराजी को लेकर कोई विवाद भी नहीं था ।

ग्राम श्योसिंहपुरा की गत आराजी ख0नं0 99 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा के हाल ख0नं0 150 रकबा 1.80 हैक्टर, ख0नं0 151 रकबा 1.70 हैक्टर कायम हुये। गत ख0नं0 43 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के हाल ख0नं0 76 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 80 रकबा 0.58 हैक्टर, ख0नं0 81 रकबा 0.22 हैक्टर, ख0नं0 83 रकबा 0.35 हैक्टर कायम हुये हैं ।

ग्राम लिखवा के गत ख0नं0 200 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नं0 576 रकबा 1.00 हैक्टर, ख0नं0 577 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नं0 578 रकबा 1.78 हैक्टर, ख0नं0 579 रकबा 2.42 हैक्टर कायम हुये ।

उपरोक्त आराजियात को रामलाल के पांचों पुत्रों ने मौके पर बांटकर अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त करते रहे । किन्तु राजस्व रेकार्ड कर्ता खानदान होने से हिराराम के अकेले के ही दर्ज हो गया जो वादीगण के हक हिस्सों के लिये शून्य है ।इस आराजी में प्रतिवादी सं0-1 से 6 का 1/5 हिस्सा तथा शेष 4/5 हिस्सा वादीगण का है। जिसकी खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है । अत: वादीगण का दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का खाता अलग अलग किया जावे । दावा पेश होने पर पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ जिसके आधार पर अदालत मातहत ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पक्षकारान के मध्य न्याय के उद्देश्य से निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं की बल्कि पक्षकारों के मध्य विवाद बढाने के उद्देश्य से निर्णय पारित किया है ।अपीलान्टस् एवं जलेसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह ने अदालत मातहत के समक्ष जब अन्तिम निर्णय के पूर्व लिखित में जब यह कथन कर दिया कि वे ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है उन्हे उनके वकील साहब ने राजी--नामा पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी उन्हे राजीनामा बिना पढाये व समझाये करवाये हैं । अगर राजीनामा के आधार पर फैसला किया जाता

है तो अपीलान्टस् के साथ दावा के मुताबिक एवं भौतिक कब्जे काश्त के मुताबिक सही न्यपय नहीं हो पायेगा । किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत 15। सीपीसी के प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है ।निर्णय से पूर्व अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया था कि राजीनामा पेश किया गया है वह स्वेच्छा एवं स्वतन्त्र सहमति से पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार का राजीनामा कानून से लोक अदालत की भावना के विपरित माना जावेगा । जब राजीनामा लोक अदालत की पवित्र भावना के विपरित है है तो उसके आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री भी सही नहीं है । वाद पत्र की धारा-9 में अपीलान्टस् के कब्जा काश्त की भूमि ग्राम श्योसिंहपुरा के हाल ख0नं0 150, 76, 81, 82 बताया है। जबकि राजीनामा में अपीलान्टस् का कब्जा काश्त ख0नं0 151 में दिखया गया है ।अपीलान्ट ने अपनी जमीन हाल खसनं0 150 में फसल काश्त कर रखी जिसमें पेड पौधे लगाकर भूमि को सुधार कर रखा है ।राजीनामा के आधार पर अगर न्याय की जाती है तो उनको समस्त 11.99 हैक्टर जमीन में से 1/5 हक हिस्से से कम जमीन प्राप्त होगी ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय राजस्व कोर्ट मैनुअल के आवश्यक प्रावधानों के विपरित पारित किया है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय फर्द अहकाम पर बिना पक्षकारों के नाम पते लिखे पारित किया है जो निर्णय की तारीफ में नही आता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री खारिज की जावे

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी में अपीलान्ट का 1/5 हक हिस्सा है जो उसे नहीं दिया गया है ।अपीलान्ट को उसके हिस्से से कम आराजी दी गई है ।राजीनामा जो किया गया है वह हमारे वकील ने हमें

अदालत की पवित्र भावना के विपरित है और इस प्रकार के राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय भी निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अदालत मातहत को न्याय करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है। दावा की मद सं0-9 में अपीलान्ट का कब्जा काश्त ख0नं0 150, 76, 81, 82 पर बताया है जबकि राजीनामा में अपीलान्ट का कब्जा काश्त ख0नं0 151 पर दिखाया गया है। अपीलान्ट ने अपने कब्जा काश्त की आराजी ख0नं0 150 को काफी मेहनत कर पेड पौधे लबाकर सुधार कर रखी है । अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने निर्णय से पूर्व धारा-151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि अपीलान्ट के साथ मुताबिक राजीनामा सही न्याय नहीं होगा । किन्तु अदालत मातहत ने इस प्रार्थना पत्र का नजर अन्दाज कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है । अपीलान्ट को उसके हिस्से के अनुसार आराजी दी गई है ।कही भी अपीलान्ट का रकबा हिस्से से कम ह नहीं है ।राजीनामा पर इनके हस्ताक्षर है । राजीनामा की मद संख्या-7 मे ग्राम श्योसिंह पुरा की आराजी ख0नं0 76 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 81 रकबा 0.22 हैक्टर, व ख0नं0 151 रकबा 1.70 हैक्टर कुल 1.99 हैक्टर वादी सं0-7 से 11(अपीलान्टस) को 1.99 हैक्टर दी गई है जो अपीलान्ट के हिस्सो के अनुसार सही है ।अपीलान्ट ने यह अपील केवल हमे परेशान करने की नियत से पेश की है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 में ख0नं0 200 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी हीराराम व.द रामला के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी सं0 2016 में आराजी ख0न099 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी हीराराम व.द राम के नाम दर्ज है तथा ख0नं0 143 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा

की खातेदारी हीराराम व.द रामू के नाम दर्ज है जिस पर उपकृषक चन्दगी राम व.द रामला दर्ज है ।२योसिंह पुरा की आराजी ख0नं0 43 व 99 की खातेदारी हीरा व.द रामू के नाम तथा कही हीराचन्दगी व.द रालाल व हीरा चन्दगी गुरूदयाल पृथ्वीसिंह किशन पिता रामलाल के नाम दर्ज रही। रिलखवा की जमाबन्दी सं0 2031 से 2034 में ख0नं0 200 रकबा 26 बीघा ।। बिस्वा हीराराम पि0 रामलाल के नाम दर्ज है । राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमें अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा दोनों गांवों की आराजी में है । अपीलान्ट को राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार रकबा न देकर उसे रकबा कम दिया गया है । अपीलान्ट किशनाराम के वारिस है । किशनाराम का विवादित आराजी मे 1/5 हिस्सा है। किन्तु किशनाराम के वारिसान अपीलान्टस् को हिस्से से कम दी गई है। अतः हम प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड कर प्रकरण में हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार आराजी का बटवारा किये जाने के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-3-2011 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वह प्रकरण में उभयपक्षो को उनके हिस्से के अनुसार तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार दावे का निर्णय किया जाकर खाता विभाजन किया जावे ।तब तक पक्षकार आराजी का अन्तरण, रहन, विक्रय न करें । पक्षकार अदालत मातहत में दि0 5-3-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.1.2018 को सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर) 24/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर